स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
14–11–14	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, इंदौर के प्रकरण क्रमांक 1/अपील/14–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11–11–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने पूर्व में दिए गए स्थगन आदेश को समाप्त किया गया है । 2– आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । अनुविभागीय अधिकारी की आदेश पत्रिकाओं से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा पूर्व में दिनांक 14–10–14 को दिए गए स्थगन आदेश को इस आधार पर समाप्त किया गया कि तहसीलदार द्वारा दिए गए आदेश का अमल हो चुका है इसलिए स्थगन का औचित्य नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी काक उक्त निष्कर्ष प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए न्यायिक नहीं है यदि आदेश प्रथमदृष्टया अवैध एवं त्रुटिपूर्ण है तो भी आदेश के अमल के पश्चात प्रकरण में स्थगन दिया जा सकता है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में पूर्व में दिए गए स्थगन आदेश को निरस्त किये जाने संबंधी आलोच्य न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है । अतः उसे निरस्त किया जाता है तथा उनके द्वारा पूर्व में दिया गया स्थगन आदेश दिनांक 14.10.14 आगामी तीन माह अथवा प्रकरण का निराकरण होने तक (जो भी पहले हो) निरंतर रखा जाता है । चूंकि इस प्रकरण में अन्य कोई बिंदु विचारणीय नहीं है अतः यह निगरानी उक्त निर्देश के साथ समाप्त की जाती है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

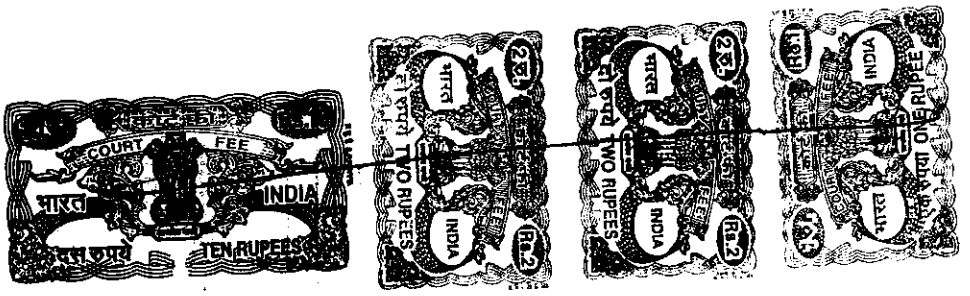

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–इन्दौर R-3796-IBR/14

1. श्रीमती हंसादेवी पत्नी श्री पुन्यपाल सुराणा,
2. अर्पित पुत्र श्री पुन्यपाल सुरणा, समस्त निवासीगण 24–बी बिल्डर्स कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

राजेश जैन (एच.यू.एफ.) तर्फेकर्त्ता राजेश जैन पुत्र स्व. श्री ऋषभ कुमार जैन, निवासी 8, साकेतनगर, इन्दौर (म.प्र.) ..... अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व (अनुभाग–भि.हपसी), इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 11.11.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्यः–

1. यहकि, नायब तहसीलदार, इन्दौर के समक्ष राजेश जैन द्वारा एक आवेदन पत्र भू–राजस्व संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम दूधिया, तहसील व जिला इन्दौर में स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 21 रकवा 1.668 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 22 रकवा 0.640 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 37 रकवा 1.052 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 56 रकवा 0.125 हैक्टेयर के भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी जगन्नाथ पिता भोलासिंह, मोतीसिंह पिता भोलासिंह, श्यामसिंह पिता भोलासिंह, मृत तर्फे वारिसान के नाम पर रही है। उक्त भूमि पर चन्दरसिंह पिता प्रेमसिंह, निवासी ग्राम दुधिया का आधिपत्य वर्ष 1967–68 के आधार पर अपर तहसीलदार, इन्दौर से प्रकरण क्रमांक 1/अ–46/83–84 में दिनांक 04.06.84 को कब्जे के आधार पर नामान्तरण आदेश प्राप्त कर लिया, जबकि कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित नहीं किया जा सकता।